

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 29 जुलाई, 2008/श्रावण 07, 1930(शक)

संख्या- 261

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, डीसीपी, नई दिल्ली जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डॉ.हर्षवर्द्धन एवं श्री रमेश विधुड़ी को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 26.7.2008 को अपराहन 1250 बजे, गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 1.00 बजे रिहा कर दिया गया।”

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 29th July 2008/ 07Sarvana 1930(Saka)

No. 261

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, New Delhi Disst., New Delhi.

"I have the honour to inform you that Dr Harsh Vardhan and Sh. Ramesh Bidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from P. S. Parliament Street, New Delhi at 1250 Hrs. on 26.07.2008.

They were released at 1300 Hrs. from the same place on the same date.”

Siddharath Rao
Secretary